



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 20, 2020 (ASVINA 28, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

संख्या 88/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
 - ये नियम 30 सितंबर, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(द) यदि नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किया गया है, तो इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।”।
- उक्त नियमों में, नियम 48 में, उपनियम (4) में,—
 - अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर “:” प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तें और निर्बंधन के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट दे सकता है।”।
- उक्त नियमों में, नियम 138क में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यदि नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किया गया है, तो इसमें बीजक संदर्भ संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले में समुचित अधिकारी के सत्यापन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।”।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 20th October, 2020

No. 88/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 30th September, 2020.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-
“(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.”.
3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”.
4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.